08/1/21

आ० प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाब पेश किया जा चुका है। आ० प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार को सुना गया।

प्रार्थीगण का कथन है कि आलोच्य जमाबंदी सम्वत् 2073-76 खाता नं. 184 ख. नं. 118/887 रकबा 0.43 है०, 118/888 रकबा 0.60 है० किता 2 रकबा 1.03 है० वाके ग्राम रतवाई में दर्ज है जो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की है जिसमें प्रार्थीगण प्रेम पुत्री नाथू के स्थान पर तेला पुत्र नाथू दर्ज है व सत्तार पत्नी गरमा के स्थान पर सत्तू पत्नी गरमा जो कि गलत है। प्रार्थीगण का नाम तेला पुत्र नाथू व सत्तू पत्नी गरमा के

Ruby

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्थान पर प्रेम पुत्री नाथू व सत्तार पत्नी गट्टा दुरुस्त फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है प्रार्थीया नं. 1 के पिता नाथू की जब विरासत में नाम आया तेला पुत्र नाथू हो गया जो गलत है प्रार्थीया नं. 2 के ससुर नाथू की विरासत के समय नाम सत्तू पत्नी गट्टा हो गया। जबकि प्रार्थीगण की सास व भोजाई काली बेवा नाथू की विरासत में जब नाम आया उसमें प्रेम पुत्री नाथू व सत्तार पत्नी गट्टा है जो सही है प्रार्थीगण के राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, अन्य जमाबंदी खाता सं. 34, 35 में प्रार्थीगण का नाम प्रेम पुत्री नाथू उर्फ नाथ्या व सत्तार पत्नी गट्टा ही दर्ज है इसलिए इन्तकाल दुरुस्ती करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है अतः प्रा०पत्र पेश कर निवेदन है कि सम्वत 2073-2076 में दर्ज खाता सं. 184 ग्राम रतवाई में तेला पुत्र नाथू के स्थान पर प्रेम पुत्री नाथू व सत्तू पत्नी गट्टा के स्थान पर सत्तार पत्नी गट्टा दुरुस्त फरमाया जावे। अपने प्रा०पत्र के समर्थन में खाता सं. 184 सम्वत 2073-2076 वाके रतवाई की जमाबंदी, खाता सं. 178 जमाबंदी संवत 2072-75 वाके रतवाई, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी सम्वत 2039 से 2042, सम्वत 2027-2030, सम्वत 2031 से 2034, जमाबंदी सम्वत 2071-74 वाके पारेडा, संवत 2072-75 रतवाई, फोटो पहचान पत्र आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आदि दोनों के पेश किये। रिपोर्ट पटवारी में दर्शाया कि जमाबंदी सम्वत 2027 से 2030 में गट्टा पुत्र नाथू, तेला पुत्री नाथू, काली बेवा नाथू सा०देह गैरखातेदार दर्ज है प्रेम पुत्री नाथू, तेला पुत्र पुत्री नाथू एक ही व्यक्ति है जिसे अलग 2 नामों से जाना जाता है सत्तू पत्नी गट्टा को सत्तार पत्नी गट्टा के नाम से भी जाना जाता है वर्तमान जमाबंदी में तेला पुत्र नाथू हि० 1/3 के बजाय प्रेम पुत्री नाथू एवं सत्तू पत्नी गट्टा हि० 1/12 के बजाय सत्तार पत्नी गट्टा दुरुस्त किया जाना उचित होगा। पेशकार तहसील नायब तहसीलदार द्वारा अपने जवाब में अंकित किया कि पत्रावली पर	

Ruby

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर आदेश हुक्म तामील हुक्म
	उपलब्ध दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्बत् 2027 से 2030 खतौनी सं. 134 वाके ग्राम रतवाई के अनुसार वादग्रस्त आराजी तेला पुत्री नाथू व अन्य के नाम आंवटन हुई है तेला पुत्री नाथू को दुरुस्त किया जाकर प्रेम पुत्री नाथू किया जाना उचित नहीं है तथा सतू पत्नी गरया के स्थान पर सतार पत्नी गरया किया जाना उचित होगा। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण तेला पुत्र नाथू के स्थान पर प्रेम पुत्री नाथू, सतू पत्नी गरया के स्थान पर सतार पत्नी गरया दुरुस्त करवाना चाहते है। जमाबंदी सम्बत 2027 से 2030 के अवलोकन से जाहिर हैं कि वादग्रस्त आराजी साबिक ख.नं. 61 मी. रकबा 4:01 बीघा वाके रतवाई गरया पुत्र नाथू, तेला पुत्री नाथू, काली बेवा नाथू जाति सांसी सा.देह के आंवटन की है। उक्त जमाबंदी में "अलाटी" होना अंकित है जिसके हाल ख.नं. 118/887, 118/888 बनना मिलान क्षेत्रफल से जाहिर है अर्थात् उक्त सम्बत् 2027 से 2030 की जमाबंदी से स्पष्ट जाहिर है कि तेला पुत्री नाथू के नाम अन्य के साथ उक्त आराजी आंवटन से आई है आंवटन में तेला पुत्री नाथू है। जिसे अब प्रेम पुत्री नाथू दुरुस्त करवाना चाहते है जो उचित प्रतीत नहीं होता है जो कि सरकार नायब तहसीलदार द्वारा भी उक्त आंवटन की होने से तेला के स्थान पर प्रेम दुरुस्त किया जाना उचित नहीं माना है। जहां तक सतू पत्नी गरया से सतार पत्नी गरया दुरुस्ती का प्रश्न है। जमाबंदी सम्बत् 2039 से 2042 के अनुसार गरया की विरासत के नामान्तरकरण के समय भंवरलाल किशनलाल, महेन्द्र पुत्र गरया, सतू बेवा गरया, माना हीरा पुत्रियां गरया के नाम दर्ज हुए अर्थात गरया की विरासत के समय सतू हुआ है जिसे सतार करवाना चाहते है इसके आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, परिवार राशन कार्ड में Ruby	

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	श्री सत्तार पत्नी गट्या ही है पेरोकार सरकार द्वारा श्री सत्तू पत्नी गट्या के स्थान पर सत्तार पत्नी गट्या इन्द्राज किये जाने की अभिलाषा है जबकि तेला पुत्र नाथू के स्थान पर प्रेम पुत्री नाथू करवाना चाहते है इसके दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड, भामाशाहकार्ड, आधार कार्ड मे प्रेमवती दर्ज है जो भी विरोधाभास की स्थिति पैदा करते है वैसे भी तेला के नाम भूमि आवंटन के आने से इन्द्राज योग्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अभिलाषा नायब तहसीलदार (पैरोकार सरकार) के अनुसार आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ख.नं. 118/887 रकबा 0.60 है० वाके ग्राम रतवाई में सत्तू पत्नी रकबा 0.43 है०, 118/888 गट्या के स्थान पर सत्तार पत्नी गट्या दर्ज रिकार्ड किये जाने के आदेश किये जाते है शेष अंकन बदस्तूर रहेंगे। पालनार्थ तहसीलदार को तहरीर जारी हो। तेला पुत्र नाथू के स्थान पर प्रेम पुत्री नाथू किये जाने संबंधी अनुतोष को प्रा०पत्र साबित नहीं होने के फलस्वरूप खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो हुक्म खुले न्यायालय में सुनाया। Ruby	